कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID –cmobhilaicharoda@gmail.com ★ www.nagarnigambhilaicharoda.com ☎ Phone No.– 0788-2962380

क्र॰/ ......Q...... /लो॰क॰वि॰/न॰पा॰नि॰/2022 भिलाई–चरौदा, दिनाँक– 05/05/2022

शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थल संचालन अन्य नियम शर्ते

1. आश्रय स्थल संचालन के लिये प्रपत्र के साथ रूपये 5,000.00 अमानत राशि डी.डी. के रूप में किसी भी राष्ट्रीय बैंक से **आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा** के नाम से जमा करना होगा।
2. आफरदाता को लिफाफा ''अ'' में अमानत राशि का डी.डी. लिफाफा ''ब'' में पंजीयन प्रमाण पत्र आयकर वाणिज्य कर प्रमाण पत्र (ALF के लिये लागू नहीं) अनुभव प्रमाण पत्र /कार्ययोजना इत्यादि की (नोटरी/स्वयं द्वारा) सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
3. लिफाफा ''अ'' एवं ''ब'' लिफाफा के पृष्ठ भाग पर स्पष्ट शब्दों में लिखा होना आवश्यक होगा एवं पोस्टल पता सहित बडे लिफाफा में डालकर स्पीड पोष्ट/रजिस्ट्री द्वारा **आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा** को प्रस्तुत करना होगा।
4. ऑफर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर डाक से ही स्वीकार किया जावेंगा।
5. सफल आफरदाता को अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा। जिसमें उल्लेखित समयानुसार अनुबंध करना होगा। समय सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की स्थिति में जमा अमानत राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
6. अनुबंधित संस्था निर्धारित अवधि तक कार्य नहीं छोड सकेगा न ही किसी अन्य को हस्तातंरण कर सकेगा। यदि अनुबंध अवधि में कार्य छोड दिया गया तो पुनः निविदा बुलाकर हानि की क्षतिपूर्ति अनुबंधकर्ता से की जा सकेगी और उनकी सुरक्षित राशि राजसात कर ली जावेंगी।
7. विवाद की स्थिति में **आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा** छ.ग.का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
8. आवश्यकतानुसार कार्य की समयावधि को कम या अधिक करने का अधिकार **आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा** छ.ग.के पास सुरक्षित रहेगा।
9. शासन के दिशा निर्देश के अनुसार संचालन कार्य किया जाना है ।
10. अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य नहीं करने की स्थिति में धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी एवं दण्ड विधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
11. प्रत्येक आश्रय स्थल के दैनिक देख भाल, रखरखाव, सफाई, और शरण में अनुशासन के लिए निम्नालिखित न्यूनतम पूर्ण कालिक कर्मचारी होगा :–
    1. एक पूर्ण समय प्रबंधक।
    2. 3 देखरेख करने वाले : एक देखरेख करने वाला 8 घण्टे के एक ि ाफ्ट के लिए।
    3. आश्रय स्थल में महिला रहवासी के लिए कम–कम से एक महिला संभालने वाली होगी। उक्त कर्मचारियों के वेतन आश्रय स्थल की दैनिक देखभाल रखरखाव, सफाई आदि व्यय हेतु दर आमंत्रित किया जाता है।
12. 18 वर्ष के कम आयु के कामगार नहीं रखे जावेगें।
13. शासन द्वारा घोषित श्रम नियमों व न्यूनतम वेतन दरों के अनुसार कर्मचारियों को भुगतान किया जाना होगा, किसी भी प्रकार की ि ाकायत प्राप्त होने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदारी ऑफरदाता/अनुबंधित संस्था की होगी।
14. अनुबंधित संस्था द्वारा इस कार्य हेतु संलग्न कर्मचारियों के गैर कानूनी कार्यो में संलिप्तता होने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी।
15. विभाग की अधिकारियों की दृष्टि में अनुबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया कर्मचारी सही ढ़ग से कार्य नहीं करता है उन्माद करता है, या अन्य कोई ऐसा कार्य करता है जो नियम के विरूद्व है तो

सक्षम अधिकारी द्वारा निर्दे ित किये जाने के उपरांत 24 घण्टे के अंदर उक्त कर्मचारी को कार्य से पृथम कर अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबंधित संस्था बाध्य रहेगी।

16. अनुबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी से यदि निगम को कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसुली अनुबंधित संस्था के भुगतान किये जाने वाले देयकों से कटौती कर की जावेगी।
17. छ.ग.शासन में सभी प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम श्रम नियमों /संविदा मजदूरी व भविष्य निधि तथा दुर्घटना बीमा आदि की सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था की होगी। किसी प्रकार की ि ाकायत आदि का निराकरण करने की जवाबदारी ऑफरदाता /अनुबंधित संस्था की होगी।
18. संस्था द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कर्मचारी भविष्यनिधि तथा अन्य सभी प्रचलित संबंधित शासकीय नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विभिन्न नियमों का पालन करने तथा निर्धारित राशि जमा करने का उत्तरदायित्व संस्था की होगी।
19. कार्य के दौरान किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों की समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित संस्था की होगी।
20. संस्था को श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा।
21. कार्य के देयको का भुगतान उपलब्ध बजट के अनुसार किया जावेगा। भुगतान में समय की बाध्यता नहीं होगी एवं विलंब के लिये कोई अतिरिक्त राशि ग्राहय नहीं किया जावेगा।
22. उपरोक्त कार्य के संचालन/संधारण में विद्युत एवं अन्य कार्य संबंधी प्राकृतिक आपदा, चोरी, तोड–फोड एवं अन्य किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित संस्था की होगी।
23. अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों को दुर्घटना के बचाव से समस्त प्रकार के उपकरण सामाग्री उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी अनुबंधित संस्था की होगी।
24. कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी समस्त जवाबदारी अनुबंधित संस्था की होगी।
25. निविदा खोलने की कार्यवाही के दौरान सर्वप्रथम अमानत राशि जमा वाला लिफाफा खोला जायेगा, निर्धारित अमानत राशि जमा पाये जाने के उपरांत ही प्रपत्र वाला लिफाफा खोला जायेगा। निर्धारित अमानत राशि जमा नहीं पाये जाने पर प्रपत्र वाला लिफाफा नहीं खोला जायेगा तथा संबंधित ऑफरकर्ता का जमा /प्राप्त निविदा आवेदन निरस्त माना जायेगा।
26. आवेदित संस्था पंजीकृत होना अनिवार्य है।
27. निविदा की स्वीकृति /अस्वीकृति का अधिकार **आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा** के पास सुरक्षित होगा।
28. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु **आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा** का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
29. आवेदन स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक .... को समय सायं .... बजे तक जमा करना अनिवार्य है। अन्य विधि से एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई–चरौदा

–::: निविदा दर पत्रक :::–

कार्य का नाम :– शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थल संचालन का कार्य

क्र०	कार्य का विवरण	यूनिट	मात्रा	निविदा दर	
				अंको में	शब्दों में
1	शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थल संचालन का कार्य।	प्रति माह	12 माह		

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई चरौदा